न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 13 / 2021

उनवान

1. सांवरलाल
2. अमरलाल
3. बरभा
4. प्रहलाद पिता नारायण जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 9/9/21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल लोहरवाडा तहसील नसीराबाद में स्थित निम्न आराजी वादीगण को नियमन हुयी थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
3730	2–1–0	76	0.32
3834	1–6–0	158	0.21
3835	4–1–0	160	0.66
3836	3–4–0	161	0.52
किता 4	10–12–0	किता 4	1.71

ग्राम व पटवार मण्डल लोहरवाडा तहसील नसीराबाद में स्थित वंर्किग खसरा नम्बर 3730, 3834, 3835, 3836 रकबा कमशः 2–1–0, 1–6–0, 4–1–0 व 3–4–0 किता 4 रकबा 10–12–0 की आराजी भू. संशोधन जमाबंदी में वादीगण / पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज थी। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन जमाबंदी की मान्यता खत्म करने से उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दी गयी। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये विशेष अभियान संचालित किये गये। ग्राम पंचायत लोहरवाडा में भी भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन किया गया। वादीगण का उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा काश्त व भू संशोधन में उक्त आराजी वादीगण / पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण राजस्व कैम्प में आराजी मुतनाजा सहायक कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी महोदय, प0स0 श्रीनगर के आदेश कंमाक / एसीएम / 2000 / 255 दिनांक 31.12.01 को वादीगण के नाम नियमन करने के आदेश पारित किये गये। वादीगण उक्त [illegible] दिनांक व उससे पूर्व ही आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है व आज दिवस भी वादीगण का कब्जा उक्त आराजी पर निर्विधन रूप से चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा वादीगण को विधिवत नियमन होने के बाद [illegible]मान सहायक कलक्टर व प्रभारी अधिकारी प0स0 श्रीनगर महोदय, अजमेर द्वारा उक्त [illegible] अभिलेख [illegible] हेतु आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

... 268 दिनांक 31.12.01 द्वारा राजस्व अधिकारियों/कार्मिको को आदेशित किया गया। उक्त आदेश ... की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 28.02.20002 द्वारा वादीगण के पक्ष में आराजी मुतनाजा ... की गयी। जिसकी पालना मे वर्किंग जमाबंदी में वादीगण के पक्ष में वर्किंग खसरा नम्बर 3730, 3834, 3835, 3836 रकबा क्रमश 2–1–0, 1–6–0, 4–1–0 व 3–4–0 किता 4 रकबा 10–12–0 की आराजी ... खातेदारी दर्ज की गयी। साथ ही तत्समय की खसरा गिरदावरी में भी उक्त आराजी वादीगण के नाम अंकित की गयी। इस प्रकार वादीगण आराजी मुतनाजा के सद्भावी खातेदार काश्तकार होने से आराजी मुतनाजा पर वादीगण का हक व अधिकार निहित है। वर्किंग जमाबंदी में वादीगण के पक्ष में वर्किंग खसरा नम्बर 3730, 3834, 3835, 3836 रकबा क्रमश 2–1–0, 1–6–0, 4–1–0 व 3–4–0 किता 4 रकबा 10–12–0 की आराजी वादीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी किन्तु वर्किंग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 76, 0.32, 158/0.21, 160/0.66 व 161/0.52 को बंदोबस्त विभाग हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया तथा आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर सिवायचक खाते में दर्ज कर दिये। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज वादीगण को विधिक रूप से नियमन की गयी भूमि व वादीगण के हितों के लिये बेअसर है। आराजी मुतनाजा वादीगण को नियमन करते समय वादी संख्या 1 का नाम सांवरा व वादी संख्या 2 का नाम अमरा नियमन आदेश व नामान्तकरण में दर्ज किया गया। जबकि वादी संख्या 1 का सही व सम्मानित नाम सांवरलाल व वादी संख्या 2 का सही व सम्मानित नाम अमरलाल है। वादी संख्या 1 व 2 का नाम सांवरा व अमरा अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि वादी संख्या 1 व 2 का सही व वास्तविक नाम सांवरलाल व अमरलाल है। वादी संख्या 1 व 2 के अन्य दस्तावेजों में भी वादी संख्या 1 व 2 का नाम सांवरलाल व अमरलाल ही अंकित है। अतः वाद पत्र में दर्ज ग्राम ग्राम व पटवार मण्डल लोहरवाडा तहसील नसीराबाद की चरण संख्या 1 में दर्ज वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में आराजी मुतनाजा को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। वादी संख्या 1 व 2 का नाम सांवरा व अमरा अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि वादी संख्या 1 व 2 का सही व वास्तविक नाम सांवरलाल व अमरलाल है। जिसे दुरूस्त किया जावे व वादी संख्या 1 व 2 का नाम सांवरलाल व अमरलाल अंकित करने के आदेश पारित करावे इस आशय की खातेदारी उद्घोषणा जारी की जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नियमन दस्तावेज व राजस्व अभिलेख से वादी स्वय सिद्व करे कि वादग्रस्त आराजी उसकी नियमनशुदा है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। जिस पर वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण को विधिवत नियमन हुयी थी ?

—— वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने व वादी संख्या 1 व 2 का नाम त्रुटिपूर्ण होने से से वादीगण खातेदारी प्राप्ति व दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में सावंरलाल के बयान दर्ज करवाये व राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

ग्राम लोहरवाडा के वर्किंग खसरा नम्बर 3730, 3834, 3835, 3836 रकबा क्रमश 2–1–0, 1–6–0, 4–1–0 व 3–4–0 किता 4 रकबा 10–12–0 की आराजी भू संशोधन जमाबदी में वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज थी। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन जमाबदी की मान्यता खत्म करने से उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक ... राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये विशेष अभियान ... किये गये। ग्राम पंचायत लोहरवाडा में भी भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन किया गया। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा काश्त व भू संशोधन में उक्त आराजी वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण राजस्व कैम्प में आराजी मुतनाजा सहायक कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी महोदय, प0स0 श्रीनगर के आदेश कंमाक/एसीएम/2000/255 दिनांक 31.12.01 को वादीगण के नाम नियमन करने के आदेश पारित किये गये। आराजी मुतनाजा वादीगण को विधिवत नियमन होने के बाद श्रीमान सहायक कलक्टर व प्रभारी अधिकारी प0स0 श्रीनगर महोदय, अजमेर द्वारा उक्त नियमन आदेश की पालना राजस्व अभिलेख में करने हेतु आदेश कंमाक/255 दिनांक 31.12.01 द्वारा राजस्व अधिकारियों/कार्मिको को आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 28.02.20002 द्वारा वादीगण के पक्ष में आराजी मुतनाजा तस्दीक की गयी। जिसकी पालना में वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के पक्ष में वंर्किग खसरा नम्बर 3730, 3834, 3835, 3836 रकबा कमशः 2–1–0, 1–6–0, 4–1–0 व 3–4–0 किता 4 रकबा 10–12–0 की आराजी खातेदारी दर्ज की गयी। साथ ही तत्समय की खसरा गिरदावरी में भी उक्त आराजी वादीगण के नाम अंकित की गयी। इस प्रकार वादीगण आराजी मुतनाजा के सद्भावी खातेदार काश्तकार होने से आराजी मुतनाजा पर वादीगण का हक व अधिकार निहित है। किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 76/0. 32, 158/0.21, 160/0.66 व 161/0.52 को बंदोबस्त विभाग हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया तथा आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर सिवायचक खाते में दर्ज कर दिये। आराजी मुतनाजा वादीगण को नियमन करते समय वादी संख्या 1 का नाम सांवरा व वादी संख्या 2 का नाम अमरा नियमन आदेश व नामान्तकरण में दर्ज किया गया। जबकि वादी संख्या 1 का सही व सम्मानित नाम सांवरलाल व वादी संख्या 2 का सही व सम्मानित नाम अमरलाल है। वादी संख्या 1 व 2 का नाम सांवरा व अमरा अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि वादी संख्या 1 व 2 का सही व वास्तविक नाम सांवरलाल व अमरलाल है। वादी संख्या 1 व 2 के अन्य दस्तावेजों में भी वादी संख्या 1 व 2 का नाम सांवरलाल व अमरलाल ही अंकित राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 76/0.32, 158/0.21, 160/0.66 व 161/0.52 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। वादी संख्या 1 का सही व सम्मानित नाम सांवरलाल व वादी संख्या 2 का सही व सम्मानित नाम अमरलाल है अंति किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 3/4/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सांवरलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत – 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 13 / 2021
पेश करने की दिनांक – 19.1.21

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर जितेन्द्र गुर्जर अभिभाषक मुददई राज पैरोकार अभिभाषक मिनजानिब मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादी को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 76 / 0.32, 158 / 0.21, 160 / 0.66 व 161 / 0.52 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। वादी संख्या 1 का सही व सम्मानित नाम सांवरलाल व वादी संख्या 2 का सही व सम्मानित नाम अमरलाल है अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 5 माह 04 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुकमनामा
बाबत् इजराय हुकमनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:28 IST
Reason: SelfAttested